



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17962 वर्ष 2025

सच्चिदानंद प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : संकल्प नारायण, श्रीवत्स नारायण

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अवनीश त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.के. सिंह, श्री ऋषभ नारायण की सहायता में और प्रत्यर्थियों क्रमांक 1 से 4 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा तथा प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी को सुना गया।
2. प्रतिपक्ष के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से यह विवरण दिया कि वे कोई और हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते, अतः पक्षकारों की सहमति के साथ, रिट याचिका नये सिरे से विचाराधीन है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें एच.बी.टी.यू. कानपुर में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया और वे 04.09.1999 से 26.08.2008 तक कार्यरत रहे तथा दिनांक 15.05.2024 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने राज्य सेवा में भर्ती के लिए आवेदन किया और प्रथम नियोजन 12.08.2008 को खंड विकास अधिकारी के रूप में दी गई। दिनांक 12.06.1998 के सरकारी आदेश के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता की पूर्व संलग्नता एच.बी.टी.यू. कानपुर में मौद्रिक लाभ के लिए सम्मिलित की जानी है।
4. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता ने अपने दावे पर विचार हेतु प्रत्यर्थियों के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था, परंतु मामला अभी भी ग्रामीण विकास अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आयुक्त, लखनऊ के अन्तर्गत हैं और राज्य सरकार द्वारा स्वयं आयुक्त से जानकारी मांगी गई है, अतः राज्य सरकार द्वारा सचेत निर्णय लिया जाना शेष है।

5. प्रत्यर्थियों क्रमांक 1 से 4 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा तथा प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता का दावा प्रथम दृष्टया चतुर्थ प्रत्यर्थी, ग्रामीण विकास आयुक्त, लखनऊ द्वारा निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

6. ऐसी प्रस्तुति पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

7. प्रतिवादी पक्षों की प्रस्तुतियों तथा उनके रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है, रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान करते हुए कि वह रिट याचिका की स्व-प्रतिपुष्ट प्रति सहित समग्र प्रतिनिधित्व चतुर्थ प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करे, जो इसे 30.01.2026 तक प्राप्त होने पर उक्त प्रस्तुति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगा तथा रिट याचिकाकर्ता के दावे को दो माह के भीतर निस्तारित करेगा।

8. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

19 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।